Estd. & Regd. : 1994

UPBHOKTA SANRAKCHHAN & KALYAN SAMITI

उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण समिति

Member : Consumer Advocacy Group of Telecom Regulatory Authority of India
Regd.In : Petroleum & Natural Gas Regulatory Board, New Delhi
Associated with Cell for Consumer Education & Advocacy of U.P. Electricity Regulatory Commission
Member : Consumer Coordination Council, the Manager CORE CENTER
Supported By : Ministry of Consumer Affairs, Food And PDS. Govt. of India
Phone : 0512-2217840, 09450156430, Website : www.upbhoktasanrakshan.org.in, E-mail : consumertalk@rediffmail.com
Upbhokta Bhawan 119/354, Darshan Purwa, Gumti No. 5, Kanpur - 208012

दिनांक–28.07.2014

ज्वाइन्ट एडवाइजर
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
नई दिल्ली

विषय– **कन्सट्रेशन पेपर नं0–07/2014 के सम्बन्ध में सुझाव।**

महोदय,

उक्त कन्सट्रेशन पेपर के संबंध में बिन्दुवार सुझाव आपकी सेवा में प्रस्तुत है –

प्र0–1 क्या आप प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) के लिए निम्नलिखित परिभाषा के साथ सहमत है ? यदि नहीं, तो कृपया कोई वैकल्पिक परिभाषा का सुझाव दें :

''प्लेटफार्म सेवाएँ (पीएस) वितरण प्लेटफार्म परिचालकों (डीपीओ) के द्वारा उनके स्वयं के ग्राहकों के लिए अनन्य रुप से के माध्यम से प्रेषित कार्यक्रम हैं और इनमें डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त दूरदर्शन चैनल और टीवी चैनल सम्मिलित नहीं हैं।''

उ0– सहमत है

प्र0–2 कृपया पीएस चैनलों पर अनुमति दिए जाने वाले कार्यक्रमों से सम्बन्धित पहलुओं पर टिप्पणी प्रदान करें :

1. पीएस चैनल प्रेषित/सम्मिलित नहीं कर सकते हैं

2.1.1 किन्ही भी समाचारों और/या समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को सम्मिलित ही कर सकते।

2.1.2 किसी भी प्रकृति की राजनीतिक घटनाओं के कवरेज को, नही कर सकते।

2.1.3 किसी भी कार्यक्रम को जो/जिसे अपलिंकिंग/डाउनलिकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त किन्हीं भी दूदर्शन चैनलों या टी0वी0 चैनलों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है/किया गया है, धारावाहिकों और यथार्थ कार्यक्रमों (रियलिटी शो) साहित सम्मिलित नही कर सकते है।

2.1.4 अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य और राज्य स्तरीय खेल की घटनाओं/टूर्नामेंट/खेलों जैसे आईपीएल, रणजी ट्रॉफी आदि सम्मिलित नही कर सकते है।

प्र0–2 पीएस चैनल प्रेषित/सम्मिलित कर सकते हैं–

2.2.1 मांग पर चलचित्र/वीडियों को सम्मिलित कर सकते है।

2.2.2 पारस्परिक क्रिया के खेलों को सम्मिलित नही कर सकते हैं।

2.2.3 स्थानीय सांस्कृतिक घटनाओं और त्यौहारों, यातायात, मौसम, शैक्षणिक/अकादमीय कार्यक्रमों (जैसे कि कोचिंग कक्षाओं) की कवरेज को, परीक्षाओं, परीक्षा परिणामों,

विद्यालय प्रवेशों, कैरियर, परामर्श, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, रोजगार के बारे में जानकारी को सम्मिलित नही कर सकते हैं।

2.2.4 विद्युत, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ चेतावननियों आदि की तरह की नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक घोषणाओं को जैसी स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई है सम्मिलित नही कर सकते हैं।

2.2.5 सजीव कवरेज को छोड़कर खेल की घटनाओं से सम्बन्धित सूचना को सम्मिलित नही कर सकते हैं।

2.2.6 स्थानीय प्रकृति को खेल की घटनाओं की सजीव कवरेज को अर्थात जिला स्तर (या निचले) की टीमों के द्वारा खेली गई खेल की घटनाएँ और जहॉ किन्ही भी प्रसारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है सम्मिलित नही कर सकते हैं।

प्र0–3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएस नियमित टीवी प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर रहा है, समीझा की आवधिकता क्या होने चाहिए?

उ0– पहले क्रम में कम से कम 06 माह और फिर समय समय पर निगाह रखने के लिए कमेटी बनानी चाहिए और अधिकतम समीक्षा की अवधि एक वर्ष होना चाहिए।

प्र0–4 क्या सभी डीपीओ के लिए, पीएस परिचालित करने की अनुमति दी जाने के लिए, कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियों के रुप मे पजीकृत किया गया होना अनिवार्य किए जाए? यदि नही, तो सभी डीपीओ के लिए एकरुप कानूनी स्थिति को सुनिश्चित कैसे करें ?

उ0– सभी डीपीओ को कानूनी स्थित में एक रुटता सुनिश्चित करने के लिए पीएस की पेशकश करने वाले डी0पी0ओ0 को कम्पनी अधिनियम के आधीन भारत वर्ष में अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

प्र0–5 एफडीआई सीमा पर विचार, यदि कोई हो?

उ0– भारत मे प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों पर अपनी अनुसंशायें जो अगस्त 2013 में ट्राई ने समाचार और समसामयिक मामलों के टी0वी0 चैनलों की अपलिकिंग के लिए जो विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रति0 तक बढाने के लिए की गयी है वही सही है फिर भी कम्पनी अधिनियम के आधीन पंजीकृत एम0एस0ओ0 विदेशी निवेश की सीमाओं को 74 प्रति0 तक प्राप्त कर सके तो भी ठीक है। क्योकि ये भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के नियमों के आधीन होना चाहिए।

प्र0–6 क्या पीएस चैनलों की पेशकश करने के लिए किसी भी न्यूनतम निवल–मूल्य की आवश्यकता होनी चाहिए? यदि हॉ, तो यह कितनी होनी चाहिए ?

उ0– पीएस चैनलों की पेशकश करने के लिए किसी भी न्यूनतम निवल मूल्य पहले से बढाकर टीवी चैनल की डाउनलिकिंग के लिए 10 करोडा और अतिरिक्त टी0वी0 चैनल के डाउनलिकिंग के लिए करीब 5 करोड रुपये होना चाहिए।

प्र0–7 क्या आप सहमत है कि पीएस चैनलों को भी समान सुरक्षा मंजूरी/शर्तो के अधीन किया जाना चाहिए, जैसी निजी उपग्रह टी0वी0 चैनलों के लिए लागू है ?

उ0– पीएस चैनल भी उसी तरह की सुरक्षा मंजूरी के आधीन होने चाहिए जैसी की सुरक्षा मंजूरी निजि उपग्रह टीवी चैनलों के लिए आवश्यक है मौजूदा में डीपीओ के पीएस चैनलों को सुरक्षा मंजूरी आवश्यक नही है जो सही नही है।

प्र0–8 एक ऑनलाइन प्रक्रिय के माध्यम से एमआईबी के साथ पंजीकृत होने के लिए पीएस चैनलों के लिए पंजीकरण की वैधता की अवधि और प्रति चैनल वार्षिक शुल्क क्या होना चाहिए?

उ0– डीपीओ द्वारा पेश किये जाने वाले सभी पीएस चैनलों को सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए पंजीकरण के लिए समयबद्ध केन्द्रीय आनलाइन प्रणाली को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया जाये जो भारत सरकार की ई–शासन की नीति के अनुसार होगा। कार्यक्रमों में किसी भी बदलाव को 30 दिन के पहले एमआई को सूचित करना चाहिए तथा पीएस चैनल के पंजीकरण के समय डीपीओ को ऐसे पीएस चैनल के माध्यम से प्रेषित किये जाने वाले कार्यक्रमो के तरीके की घोषणा करना चाहिए।

प्र0–9 अनुमति के नवीकरण के लिए आपका प्रस्ताव क्या है ?

उ0– पीएस के लिए प्रारम्भिक पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि 10 वर्ष हो सकती है और अनुमति के नवीनीकरण पर 5 वर्ष की अवधि के लिए विचार होना चाहिए और शर्तो के अनुपालन के आधीन होने वाले नियम बनाने चाहिऐ।

प्र0–10 क्या पीएस चैनलों के लिए भौगोलिक क्षेत्र के सन्दर्भ में कोई सीमाएँ होनी चाहिएँ? यदि हॉ, तो इन सीमाओं को क्या होना चाहिए।

उ0– पीएस चैनलों के परिचालन में भौगोलिक क्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध की आवश्यकता नही है ।

प्र0–11 क्या पीएस चैनलों की संख्या पर कोई सीमा होनी चाहिए जिन्हे किसी डीपीओ द्वारा परिचलित किया जा सकता है? यदि हॉ, तो सीमा होनी चाहिए?

उ0– डीपीओ द्वारा पेश किये गये पीएस चौनलों की संख्या को सीमित होना चाहिए और डीपीओ द्वारा पेश किये गये कुल संख्या के 1 प्रतिशत या एक निश्चित संख्या या ऊपर के एक संयोजन या चैनलों की कुल संख्या का एक प्रतिशत अथवा निश्चित संख्या इनमें से जो भी कम है के रुप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

प्र0–12 क्य आपके पास डीपीओ पर निम्नलिखित दायित्वों/प्रतिबंधो पर कोई टिप्पणियॉ हैः

12.1 एमआईबी के पूर्व अनुमोदन के बिना पीएस के लिए पंजीकरण अहस्तान्तरणीय,

12.2 पीएस के पुनः प्रसारण के लिए अन्य वितरण नेटवर्को के साथ परस्पर जुड़ने पर निषेध अर्थात किसी अन्य डीपीओ के साथ पीएस चैनल को साझा नही कर सकता है या उसको पुनःप्रसारण की अनमुति नही दे सकता है और

12.3 कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और क्यूओएस और शिकायत निवारण से सम्बन्धित ट्राई के विनियमों का अनुपालन।

प्र0–13 पीएस की पेशकश करने के लिए डीपीओ पर कौन से अन्य दायित्वों/प्रतिबंधों को लगाए जाने की आवश्यकता है?

उ0– डीपीओ पर यह दायित्व होना चाहिए कि वो सूचना प्रसारण मंत्रालय की बिना पूर्व अनुमति के पीएस के लिए पंजीकरण की गैर–स्थानांतरणीयता, पीएस के के पुनः प्रसारण के लिए अन्य वितरक नेटवर्को के साथ जुडने से निषेध या साझा या उसकी अनुमति नह दे सकता इसके अलावा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और गुणवक्ता नियंत्रण और शिकायत निवारण आदि से सम्बन्धित भारतीय दूरसंचान विनियाम प्राधिकरण का अनुपालन का यादित्व होना चाहिए।

प्र0–14 क्या डीपीओ को एफएम परिचालक के साथ उपयुक्त व्यवस्था के अधीन पहले ही अनुमतिप्राप्त और परिचालन हो रहे एफएम रेडियों चैनलों को पुनःप्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यदि हॉ, तो क्या एफएम रेडियों चैनलों की संख्या पर, सहित, कोई भी प्रतिबंध होने चाहिए, जिन्हे किसी डीपीओ के द्वारा पुनःप्रेषित किया जा सकता है?

उ0– इस पर भी विनियामक तंत्र बनाकर ही कोई पुनः प्रसारण करने की अनुमति देनी चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि विनियामक तंत्र का पूरी तरह अनुपालन हो।

प्र0–15 पीएस चैनल की निगरानी करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव दें।

उ0– पीएस चैनलों की निगरानी के लिए एक समान क्रियाविधि पर विचार किया जा सकता है अर्थात डीपीओ को भी अनिवार्य किया जा सकता है कि वह कार्यक्रमों का एक रिकॉर्ड 90 दिनों की अवधि के लिए रखे और उसे सरकार की किसी भी संस्था के सामने प्रस्तुत करे, जैसे भी और जब भी आवश्यकता पडे। रोजमर्रा के आधार पर पीएस चैनल पर सामग्री की निगरानी करने के लिए एमआईबी उपयुक्त स्तर पर निगरानी समितियों/निकायों का गठन कर सकती है जो प्रभावी भी हो और जरुरी रिपोर्ट दें।

प्र0–16 क्या आप सहमत है कि उनकी अनुमतियों का नियमों और शर्तो के उल्लंघन के लिए टीवी प्रसारकों पर लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के समान को पीएस पर भी लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो औचित्य के साथ वैकल्पिक प्रावधानों का सुझाव दें।

उ0– हॉ अनुमतियों के नियम और शर्तो के उल्लंघन के लिए टीवी प्रसारकों पर लगाये गये प्राविधानों के समान पीएस पर भी लगाया जाना चाहिए।

प्र0–17 पीएस चैनलों के विनियम के लिए डीपीओ के सम्बन्ध में विद्यमान पंजीकरण/दिशा निर्देशों/अनुमति/लाइसेंस अनुबन्धों में औन सा संशोधन और अतिरिक्त नियम एंव शर्ते आवश्यक है ?

उ0– पीएस चैनलों के विनियम के लिए डीपीओ के सम्बन्ध में विद्यमान पंजीकरण/दिशा निर्देशों/अनुमति और साइसेंस अनुबंधों में अतिरिक्त नियम एंव शर्ते अनुसंलग्नक–II के अनुसार लगाया जाना आवश्यक है।

प्र0–18 वह समय सीमा क्या होनी चाहिए, जो डीपीओ को विद्यमान पीएस चैनलों के पंजीकरण और उन्हें प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरुप लाने एक बार एमआईबी द्वारा अधिसूचित कर दिए जाने पर के लिए दी जानी चाहिए?

उ0– नये विनियामक तंत्र को अंगीकार करने के लिए पीएस को कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष का समय देना चाहिए।

आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आशानुरुप प्राप्त होगें।

भवदीय

(पदम मोहन मिश्रा)
सचिव
उपभोक्ता संरक्षण कल्याण समिति कानपुर नगर